AC-II

8/1/2013 नानगांव बनाम अर्जुन लाल

टिप्पणी (क्रमिक)

AC = II नानगांव अन्य बनाम अर्जुनलाल अन्य

T.No. - 82/2013

5/1/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस श्रवण करने पर निर्णय सुरक्षित किया गया। पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 20/1/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

20/1/23 को पत्रावली पेश हुई।

23/1/23

23/1/23 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्रवण प्रार्थना पत्र T.I. का मय दस्तावेजात व मुलवाद अवलोकन किया गया। मुलवाद बाबत इन्जाज, दुरस्ती, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया है। मुलवाद का निस्तारण वादग्रस्त उपरांत गुणावगुण पर किया जाना है लेकिनतथ तकवादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखना आवश्यक समझते हैं जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र T.I. स्वीकार किया जाकर अन्तरिम मूल्यांकन निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। अपीलांट संख्या 1 व 2 को तावसला मुलवाद पाबंद किया जाता है की वादग्रस्त आराजीयात [illegible]

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

खसरा नंबर 147/365 रकबा 0.19 हैक्टेयर वाके ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का अलवरापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का बेचान (विक्रय) नहीं करें ना ही अन्य किसी के करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दूर नंबर से फाइल सेल्फ मुलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 23/01/23 को सो जलाम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner